रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 31, 2000/कार्तिक 9, 1922
No. 229] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2000/KARTIKA 9, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2000

विषयः **रूस तथा कजाकिस्तान से लो कार्बन फैरो क्रोम (एल सी एफ सी)के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की मध्यवर्ती समीक्षा**

****

सं. 44/1/99/डी जी ए डी.—वर्ष 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिसूचना, 1975 तथा उसके सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. **प्रक्रिया**

निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी गई है:

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) द्वारा दिनांक 5 नवम्बर,1999 की अधिसूचना सं 44/1/99-डी जी ए डी के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की गयी थी जो दिनांक 3 दिसम्बर,1996 की अधिसूचना सं. 47/एडी डी/94 के द्वारा रूस तथा कजाकिस्तान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित लो कार्बन फैरो क्रोम के आयातो पर सिफारिश किए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 7 और 8 के द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करने से सबंधित थी ।

(ii) प्राधिकारी द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर,1996 की अधिसूचना सं. 47/एडी डी/94 के द्वारा पूरी की गई जांच को पूर्ववर्त्ती जां कहा गया है ।

(iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 की अनुसूची I के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं.7202.49 के अंतर्गत वर्गीकृत लो कार्बन फैरो क्रोम के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करते हुए दिनांक 5 नवम्बर,1999 को भारत के राजपत्र,असाधारण में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गयी थी ।

(iv) प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों तथा उद्योग संघों (जिनके ब्यौरे मै. फैरो एलायॅज कारपोरेशन लिमिटेड,घरेलू उद्योग द्वारा पूर्ववर्त्ती जांच में उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और नियम 6(4) के अनुसार उन्हें लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।

(v) प्राधिकारी द्वारा भारत में लो कार्बन फैरो क्रोम के सभी ज्ञात आयातकों तथा उपभोक्ताओं (जिनके ब्यौरे मैं फैरो एलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड,घरेलू उद्योग द्वारा पूर्ववर्त्ती जांच में उपलब्ध कशए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी गई और उन्हें पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया गया ।

(vi) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी ई सी)से यह अनुरोध किया गया था कि वे समीक्षा की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में किए गए लो कार्बन फैरो क्रोम के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं ।

(vii) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में लो कार्बन फैरो क्रोम के निम्नलिखित विनिर्माताओं/ज्ञात निर्यातकों को एक प्रश्नावली भेजीः-

- मै. रूटमेट इंक., ओनटारिओ, कनाडा
- मै.सिंक्रेट बी.वी.टोट्टरडम, नीदरलैंड
- मै. नारकएलॉज एल. पी., न्यूयाक
- मै. नारकएलॉयज एस ए, लक्जसबर्ग
- मै. डेरेक रेफल्स एंड कं.लि.,लंदन, एन 2 3 आर ए
- मै. सूडामिन ट्रेडिंग, वाट्रलू (बेल्जिक्यू)
- मैं. ओटो वोल्फ, डसोल्डर्फ जर्मनी
- मै. सोकलीट एनोनिनडिस मिनरल्स, लक्जमबर्ग

(viii) नियम 6(2)के अनुसार नई दिल्ली स्थित रूस तथा कजाकिस्तान के दूतावास को समीक्षा शुरू करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को उक्त प्रश्नावली का जबाब निर्धारित समय के भीतर देने की सलाह दें । ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की

सूची के साथ निर्यातकों को भेजे गए पत्र तथा प्रश्नावली की एक प्रति भी दूतावास को भेजी गई थी । तथापि किसी भी निर्यातक/उत्पादक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

(ix) नियम 6(4)के अनुसार आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए भारत में लो कार्बन फैरो क्रोम के निम्नलिखित आयातकों तथा/अथवा उपभोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी:-

- मै. अनीता इंटरनेशनल, नई दिल्ली
- मै. ओमप्रकाश राकेशकुमार, नई दिल्ली
- मै. शिवा अलॉज प्रा.लि., नई दिल्ली
- मै. स्टील स्ट्रिप्स लि., चंदीगढ़
- मै. चिवास इंटनेशनल नई दिल्ली
- मै. लोवियर अलॉयज प्रोडक्ट्स प्रा.लि.,नई दिल्ली
- मै. यूनिक अलॉयज प्रा.लि.,नई दिल्ली
- मै. कुमार स्टील जगाधरी
- मै. सिंघानिया कैमिकल, लुधियाना
- मै. एलाइट होल्डिंग्स प्रा.लि., नई दिल्ली
- मै. उत्तर प्रदेश स्टील, उत्तर प्रदेश
- मै. बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्टस लि. जयपुर
- मै. कथुरिया एंड संस, नई दिल्ली
- मै. उपहार इंटरनेशनल, नई दिल्ली
- मै. साहू रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज प्रा.लि., नई दिल्ली
- मै. मैथलिक एल्लाय, दिल्ली

(x) मैसर्स फैरो एल्लायन्स कारपोरेशन लि. को एक प्रश्नावली भेजी गई थी जिसमें आवश्यक सूचना मांगी गई थी । मैसर्स फैरो एल्लायन्स कारपोरेशन लि. ने अपना जबाब दायर किया था ।

(xi) प्राधिकारी ने मौखिक विचार सुनने के लिए 8.8.2000 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की थी जिसमें मैसर्स फैरो एल्लाय कारपोरेशन लि. मैसर्स बिल्ट कैमिकल लि मैसर्स हिन फैरोमैट, दिल्ली और मैसर्स विसा इनर्जी रिसोर्सेस लि., नई दिल्ली ने भाग लिया था । नियम 6(6)के अनुसार जिन पक्षों ने इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया था उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारो को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । लिखित अनुरोध केवल मैसर्स फैरो एल्लाय कारपोरेशन लि. एवं मैसर्स हिन फैरोमेट, दिल्ली से प्राप्त हुए हैं ।

(xii) प्राधिकारी ने मांग पर विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश सरकारी फाइल के रूप में किसी भी हितबद्ध पक्ष के निरीक्षण हेतु खोली रखी ।

(xiii) जांच 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च, 1999 की अवधि के लिए की गई थी ।

(xiv) अधिसूचना में xxx गोपनीय आधार पर याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रदत्त सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और नियमानुसार प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है ।

(xv) उपरोक्त नियम 16 के अनुसार, इन निष्कर्षों के लिए जिन तथ्यों/आधार पर विचार किया गया था उनकी जानकारी सभी ज्ञात संबंधित पक्षो को दी गई थी और उन पर प्राप्त टिप्पणियां यदि कोई हों, तो उन पर भी इन निष्कर्षो मे विधिवत विचार किया गया है ।

(ख) **विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग और समान वस्तुएं**

2. विचाराधीन उत्पाद, निर्यात कीमत और समान वस्तुओं के बारे में पूर्ववर्ती जांच में अधिसूचित अंतिम निष्कर्ष अपरिवर्तनीय हैं ।

(ग) **पाटन**

3. **सामान्य मूल्य**

(i) प्राधिकारी ने धारा 9 क (1) ग के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से लो कार्बन फैरो क्रोम के ज्ञात निर्यातकों को निर्यातकों की प्रश्नावली भेजी तथापि किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को जबाब नहीं भेजा।अतः प्राधिकारी का मानना है कि नियमों के तहत संबद्ध देशों के निर्यातकों ने सहयोग नहीं दिया है । प्राधिकारी का यह भी मानना है कि रूस और कजाकिस्तान में लो कार्बन फैरो क्रोम के सामान्य मूल्य स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उस निर्यातक/उत्पादकों पर निर्भर करता है जो प्राधिकारी को सहयोग देने में असफल रहे हैं ।

(ii) प्राधिकारी ने लो कार्बन फेरो क्रोम के ज्ञात आयातकों को आयातकों की प्रश्नावली भी भेजी थी । तथापि किसी आयातक ने प्राधिकारी को जबाब नहीं दिया तदनुसार, प्राधिकारी का यह मानना है कि लो कार्बन फैरो क्रोम के आयातकों ने प्राधिकारी को सहयोग नही दिया है और कोई सूचना भी प्रस्तुत नहीं की है ।

(iii) मै. फैरो अलायज कारपोरेशन लि. जो घरेलू उद्योग है, ने प्रश्नावली के उत्तर में यह दावा किया है कि संबद्ध देश गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, तदनुसार उनके बारे में कोई लागत व्यारा प्राप्त करना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि अंसभव कार्य है । प्रारंभिक पाटनरोधी जाचों में जिम्बाबे को प्रतिनिधि देश के रूप में स्वीकार किया गया था और रूस और कजाकिस्तान के लिए परिकलित सामान्य मूल्य का अनुमान जिम्बावे में उत्पादन लागत के आधार पर लगाया गया था । चूंकि जिम्बावे के बारे में मौजूदा लागत के आंकडे उपलब्ध नहीं है इसलिए उनके द्वारा निकाली गई परिकलित सामान्य मूल्य को अंगीकार किया जाए ।

मैसर्स फैरो एल्लायस कारपोरेशन लि. ने XXX रू./मी.टन के हिसाब से रूस और कजाकिस्तान मूल के अथवा वहां से निर्यातित लो कार्बन फेरो क्रोम परिकलित सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

4. **निर्यात कीमत**

(i) किसी भी निर्यातक/आयातक ने प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । घरेलू उद्योग ने भी जांच अवधि के दौरान लो कार्बन फैरो क्रोम की निर्यात कीमत निकालने के लिए कोई आंकडे नहीं भेजे थे ।

(ii) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्ष 1996-97 के बाद से रूस और कजाकिस्तान दोनों से निर्यात नहीं हुए है और तदनुसार वर्ष 1997-98 और जांच अवधि अर्थात वर्ष 1998-99 के लिए रूस और कजाकिस्तान के बारे में आयातों के कोई आंकडे उपलब्ध नहीं हैं । इन आंकडो के अभाव में जांच अवधि के दौरान भारत का रूस और कजाकिस्तान की सामग्री की औसत निर्यात कीमत का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(iii) वर्तमान जांच के लिए केन्द्री उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और वाणिज्यिक आसूचना एवं साख्यिकी यहां निदेशालय कलकत्ता को यह अनुरोध किया गया था कि वे जांच अवधि के दौरान रूस और कजाकिस्तान लो कार्बन फैरो क्रोम के आयातों के ब्यौरे प्रदान करें । सी बी ई सी और डी जी सी आइ एंड एस दोनों ने सूचित किया है कि जांच अवधि के दौरान रूस और कजाकिस्तान से लो कार्बन क्रोम का कोई आयात व्यापार नहीं हुआ है ।

प्राधिकारी द्वारा जांचः

डीजीसीआईएंडएस, सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यात आंकड़ों और घरेलू उद्योग के दावे की जांच करने के पश्चात् प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पंहुचते हैं कि जांच अवधि यानि 1998-99 के दौरान भारत को सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं हुआ है । सम्बद्ध देशों से निर्यात न होने की स्थिति में प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान भारत को सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं की औसत निर्यात कीमत का आकलन नहीं किया है ।

घ. **पाटन मार्जिनः**

5. घरेलू उद्योग के विचारः

घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि जांच अवधि के दौरान पाटन करने वाले तथाकथित देशों के मूल की सम्बद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सका । पाटन मार्जिन का आकलन करने के लिए आरोपित पाटित वस्तुओं की निर्यात कीमत और मूल्य का निर्धारण करना अनिवार्य है । तथापि, इस मामले में निर्यात कीमत का निर्धारण करना संभव नहीं है क्योंकि 1996-97 के पश्चात् रुस तथा कजाकिस्तान दोनों से कोई आयात नहीं हुआ है ।

प्राधिकारी द्वारा जांचः

चूंकि जांच अवधि के दौरान भारत को सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं हुआ है, इसलिए सम्बद्ध वस्तुओं का कोई पाटन नहीं हुआ है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्यात कीमत के अभाव में प्राधिकारी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 6 में निर्धारित सिद्धांत के अनुसरण में पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं कर सके ।

(ङ) **अन्य मुद्देः**

6. घरेलू उद्योग के विचारः

प्रारम्भिक अधिसूचना के उत्तर मे घरेलू उद्योग मै0 फैरा एलोंयज़ कारपोरेशन लिमि0 ने निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं-

(i) लो कार्बन फैरा क्रोम के विनिर्माण के लिए रुस के मामले में 3,80,000 मी0 टन प्रति वर्ष तथा कजाकिस्तान के मामले में 80,000 मी0 टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता है ।

(ii) वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय प्राधिकारियों द्वारा पाटनरोधी जांच आरंभ करने तथा उक्त देशों के मूल के लो कार्बन फैरा क्रोम के आयातों पर जनवरी, 1997 मे अन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात् उक्त वस्तु का आयात कथित रुप से बन्द हो गया है ।

(iii) रुस और कज़ाकिस्तान सामग्री की कुछ मात्रा भारत में अभी भी पाटित की जा रही है जिसका पाटन उत्पत्ति संबंधी जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर अन्य देशो के मार्गो से हो रहा है । इनमें से अधिकांश देशो के पास लो कार्बन फैरो क्रोम के विनिर्माण के लिए कोई भी उत्पादन सुविधा नही है ।

(iv) आंकड़ों से पता चलता है कि सम्बद्ध देशों में संस्थापित लो कार्बन फैरो क्रोम की उत्पादन क्षमता में किसी भी तरह से कमी नहीं आई है ।

(v) वर्षों से इस्पात उद्योग विशेषकर स्टेनलैस स्टील और एलोय स्टील सैगमैंट में जो वृद्धि हुई है वह इस्पात मंत्रालय एवं योजना आयोग के प्राधिकारियों द्वारा परिलक्षित अनुमानों के अनुसार नहीं हुई है । उपरोक्त पृष्ठभूमि के संदर्भ में, घरेलू उद्योग के ऊपर अब अधिक स्थापित क्षमता का भार आ गया है ।

(vi) लो कार्बन फैरा क्रोम को तीसरे देश के मार्ग से भेजने के कारण उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी आयात संबंधी दस्तावेज या आंकड़ों का मूल्यांकन कर सके जिसमें यह दर्शाया गया हो कि रुस तथा कज़ाकिस्तान मूल के लो कार्बन फैरो क्रोम का इस देश में अभी भी आयात किया जा रहा है ।

(vii) यदि रुस तथा कज़ाकिस्तान के लो कार्बन फैरो क्रोम के आयातों पर पहले से लगाये गये पाटनरोधी शुल्क को इस अवस्था में कम कर दिया जाए या पूर्णत: समाप्त कर दिया जाए तो इससे इन दो देशों द्वारा पाटन किए जाने का मार्ग खुल जाएगा जिससे घरेलू उद्योग का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

7. आयातकों के विचार:

एक आयातक मै0 एच आई एन फैरोमैट ने अपने लिखित आवेदनों में यह निवेदन किया है कि:-

(i) घरेलू उद्योग मै. फैरो एलोएज़ कारपोरेशन लि. पिछले दो वर्षों से लो कार्बन फैरो क्रोम का उत्पादन नहीं कर रहा है। स्थानीय उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण कच्चे माल से वंचित किया जा रहा है और उनके पास पाटनरोधी शुल्क देने के पश्चात् माल का आयात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है जिससे उनका परिष्कृत एलोय स्टील/स्टेनलैस स्टील और मंहगा हो जाता है।

(ii) मै0 फैरो एलोयज़ कारपोरेशन लि0 ने पांच में से दो भट्टियों को दुबारा चालू कर दिया है। तथापि वे हाई कार्बन फैरो क्रोम का उत्पादन कर रहे हैं न कि लो कार्बन फैरो क्रोम का ।

(iii) लो कार्बन फैरो क्रोम के उत्पादन में अधिक ऊर्जा की खपत होती है और भारत में उच्च पावर टैरिफ को ध्यान में रखते हुए, इसका किफायती रुप से उत्पादन करना संभव नहीं है ।

(iv) भारत में फैरो एलॉयज के विभिन्न ग्रेडों के 25 उत्पादक हैं लेकिन इसमें से काई भी लो कार्बन फैरो क्रोम का उत्पादन नहीं कर रहा है क्योंकि इसका किफायती रुप में उत्पादन करना व्यवहार्य नहीं है ।-

(v) रुस और कजाकिस्तान से सस्ती लो कार्बन फैरो क्रोम मिलने के कारण यह नहीं माना जाना चाहिए कि वे भारत में इस वस्तु का पाटन कर रहे हैं । उनकी उत्पादन लागत और पावर टैरिफ लागत (यह भारत में पावर टैरिफ का एक चौथाई है) काफी कम है जिसके परिणामस्वरुप बिक्री कीमतें काफी कम हैं ।

8. **कजाकिस्तान गणराज्य के दूतावास के विचार**

कजाकिस्तान गणराज्य के दूतावास ने अनुरोध किया है कि कजाकिस्तान में लो कार्बन फैरोक्रोम का उत्पादन केवल एक संयत्र अर्थात जे.एस.सी. 'फैरोक्रोम' (अक्तियूविन्सक सिटी) में होता है जिसमें जून, 1993 से दिसम्बर,1996 के समयावधि के भीतर लो कार्बन फैरोक्रोम का उत्पादन पूरी तरह से बन्द कर दिया गया था और स्टोर में मुक्त स्टॉक उपलब्ध नहीं था । उन्होंने यह भी बताया है कि पिछले दस वर्षों के दौरान कजाकिस्तान ने भारत को लो कार्बन फैरोक्रोम का निर्यात नहीं किया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

घरेलू उद्योग का यह दावा कि रूसी तथा कजाकिस्तान मूल की संबद्ध वस्तु भारत में अभी भी पाटन हो रहा है, जो उत्पत्ति संबंधी जाली सर्टिफिकेटों पर आधारित अन्य देशों के मार्गों से भेजी जा रही है, घरेलू उद्योग द्वारा किसी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है । तदनुसार, प्राधिकारी ने इसे स्वीकार नहीं किया है । मै. एच.आई.एन. फैरोमेट का यह दावा कि मैं. फैरो अलाइज कारपोरेशन लि. किसी लो कार्बन फैरोक्रोम का दो वर्षों से कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, का वर्तमान जांच पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह जांच अवधि से संबंधित नहीं है और इस प्रकार प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया ।

च. **पहुंच मूल्य**

9. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के न होने की स्थिति में प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य निर्धारित नहीं कर सके ।

छ. **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

10. जांच अवधि के दौरान संबंद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के न होने की स्थिति में प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध देशों से लो कार्बन फैरोक्रोम के आयातों से भारत में घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के न होने की स्थिति में प्राधिकारी ने उन संकेतकों पर विचार नहीं किया है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन प्रवृत्ति, क्षमता उपयोग, बिक्री, स्टॉक, लाभप्रदत्ता एवं औसत बिक्री वसूली । तदनुसार,

प्राधिकारी संबंद्ध देशों से जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति को सिद्ध नहीं कर सके ।

11. जैसे कि पैरा 10 में बताया गया है प्राधिकारी जांच अवधि के दौरान संबंद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्य का निर्धारण नहीं कर पाए । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण भी नही किया है । तदनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना आयातों के क्षति रहित कीमत और पहुंच मूल्य के बीच तुलना नहीं की जा सकी । मैं॰ फैरो अलाइज कारपोरेशन द्वारा जांच अवधि के दौरान लो कार्बन फैरोक्रोम की बिक्री कीमत यह निर्धारित करने के लिए संगत नहीं है कि क्या पिछले संस्तुत पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना अपेक्षित है । यह पाया गया है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कोई आयात नहीं हुआ है और इसलिए कोई क्षति मार्जिन न निकाला जाए ।

12. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के संकेतों से प्राधिकारी इस निष्कर्ष पहुंचे हैं कि संबद्ध देशों से लो कार्बन फैरो क्रोम का आयात नहीं हुआ है इसलिए जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामान का जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं हुआ है, प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से लो कार्बन फैरो क्रोम के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को नुकसान जारी रहने अथवा नुकसान की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है।

ज. अन्तिम निष्कर्ष

13. उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित लो कार्बन फैरोक्रोम का भारत को निर्यात नहीं किया गया है । संबद्ध देशों से सबद्ध सामान का पाटन नहीं हुआ है ।
- जांच अवधि के दौरान सबद्ध देशों से लो कार्बन फैरोक्रोम के आयातों से धरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है ।

• संबद्ध देशों से लो कार्बन फैरोक्रोम के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा नुकसान की पुरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है ।

14. अतः प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के सीमाशुल्क वर्गीकरण 7202.49 के तहत आने वाले रूस और कजाकिस्तान मूल के अथवा वहा से निर्यातित लो कार्बन फैरोक्रोम के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाए ।

15. उपरोक्त अधिनियम के अनुसार इस आदेश के खिलाफ सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है ।

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 31st October, 2000

Subject: Mid-Term Review of Anti Dumping Duty concerning imports of Low Carbon Ferro Chrome (LCFC) from Russia and Kazakhstan-Final Findings.

******

No. 44/1/99/DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:

i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) issued a public notice vide Notification No.44/1/99-DGAD dated the 5th November, 1999, initiating review of definitive Anti-Dumping Duty recommended on imports of Low Carbon Ferro Chrome originating in or exported from Russia and Kazakhstan (hereinafter also referred to as subject country)vide Notification No. 47/ADD/94 dated the 3rd December 1996 and definitive Anti-Dumping Duty imposed by the Central Government vide Notification No. 7 & 8 dated the 24th January, 1997.

ii) The investigations concluded by the Authority vide Notification No. 47/ADD/94 dated the 3rd December 1996 have been referred to as "the previous investigation".

iii) The Public notice dated 5th November, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating review of Anti-Dumping Duty concerning imports of Low Carbon Ferro Chrome, classified under Customs sub-heading No.7202 49 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975.

iv) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known Exporters and industry Associations (whose details were made available by M/s. Ferro Alloys Corporation Limited, Domestic Industry in the previous investigation) and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4)

v) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and consumers of Low Carbon Ferro Chrome in India (whose details were made available by M/s. Ferro Alloys Corporation Limited, Domestic Industry in the previous investigation) and provided them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of issue of letter.

vi) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of Low Carbon Ferro Chrome in India during the past three years, including the period of review.

vii) The Authority sent a questionnaire, to the following manufacturers/known exporters of Low Carbon Ferro Chrome in the subject country, in accordance with the Rule 6(4):-

- M/s. Rutmet Inc., Ontario, Canada.
- M/s. Syncret B.V., Totterdam, The Netherlands.
- M/s. Norcalloys L.P., New York.
- M/s. Narcalloys SA, Luxembourg.
- M/s. Derek Raphals & Co. Ltd., London, N 2 3RA.
- M/s. Sudamin Trading, Waterloo (Belgique).
- M/s. Otto Wolff, Dussoldorf, Germany.
- M/s. Soclete Anonyme Des Minerals, Luxembourg.

viii) The Embassy of Russia and Kazakhstan in New Delhi was informed about the initiation of the review in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent to these Embassies, alongwith a list of known exporters/producers. None of the exporters/producers, however, filed any response.

ix) A questionnaire was sent to the following importers and/or consumers of Low Carbon Ferro Chrome in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4):-

- M/s. Anita International, New Delhi.
- M/s. Omparkash Rakesh Kumar, Delhi.
- M/s. Shiva Alloys Pvt. Ltd , Delhi.
- M/s Steel Strips Ltd., Chandigarh
- M/s. Chivas International, New Delhi.
- M/s. Lowwear Alloys Products Pvt. Ltd., New Delhi.
- M/s. Unique Alloys Pvt. Ltd., New Delhi.
- M/s Kumar Steels Jagadhari
- M/s Singhania Chemicals, Ludhiana.
- M/s. Allied Holdings Pvt Ltd . New Delhi.

- M/s. Uttar Pradesh Steels, Uttar Pradesh.
- M/s. Balaji Industrial Products Ltd., Jaipur.
- M/s. Kathuria & Sons, New Delhi.
- M/s. Uphaar International, New Delhi.
- M/s.Sahu Refrigeration Industries Pvt. Ltd., New Delhi.
- M/s. Metallic Alloys, Delhi.

x) A questionnaire was sent to M/s. Ferro Alloys Corporation Limited calling for necessary information. M/s. Ferro Alloys Corporation Limited filed its response.

xi) The Authority held a public hearing on 8.8.2000 to hear the views orally, which was attended by M/s. Ferro Alloys Corporation Limited, M/s. Bilt Chemicals Ltd. M/s. HIN Ferromet, Delhi and M/s. VISA Energy Resources Ltd., New Delhi. In accordance with Rule 6 (6) the parties who attended the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. Written submissions have been received only from M/s. Ferro Alloys Corporation Limited and M/s. HIN Ferromet, Delhi.

xii) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained and kept open for inspection by any interested party upon request.

xiii) Investigation was carried out for the period 1st April, 1998 to 31st March, 1999.

xiv) **** in this notification represents information furnished by the petitioner on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xv) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to all known interested parties and comments received, if any, on the same have also been duly considered in these findings.

B. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION, DOMESTIC INDUSTRY AND LIKE ARTICLES**:

2. The Final Findings notified in the previous investigation with regard to the product under consideration, Export Price and Like Articles remain unchanged.

C. **DUMPING:**

3. **NORMAL VALUE**:

(i) The Authority sent exporters questionnaire to known exporters of Low Carbon Ferro Chrome for the purpose of determination of Normal Value in accordance with Section 9A(1)c. However, none of the exporters responded to the

Authority. The Authority, therefore, holds that the exporters from the subject countries have not co-operated with the Authority as envisaged under the Rules. The Authority also holds that the primary responsibility to establish Normal Value of Low Carbon Ferro Chrome in Russia and Kazakhstan rests with the exporters/producers, who have failed to co-operate with the Authority.

(ii) The Authority also sent importers questionnaire to known Importers of Low Carbon Ferro Chrome. However, none of the Importers responded to the Authority. Accordingly, the Authority holds that Importers of Low Carbon Ferro Chrome have not co-operated with the Authority and have not furnished any information.

(iii) M/s Ferro Alloys Corporation Ltd., the Domestic Industry in response to the questionnaire have claimed that the subject countries are Non Market Economies (NME), accordingly obtaining any cost particulars in respect of them is a very difficult rather impossible task. In the initial Anti Dumping investigations Zimbabwe was accepted as surrogate country and the Constructed Normal Value for Russia and Kazakhstan was estimated on the basis of cost of production in Zimbabwe. Since current cost data in respect of Zimbabwe is not available, the Constructed Normal Value as worked out by them be adopted. M/s Ferro Alloys Corporation Limited has claimed the Constructed Normal Value of Low Carbon Ferro Chrome originating in or exported from Russia and Kazakhstan as Rs. **** per MT.

4. **EXPORT PRICE**:

(i) None of the Exporters/Importers responded to the questionnaire forwarded by the Authority. The Domestic Industry also did not furnish any data to work out the Export Price of Low Carbon Ferro Chrome during Period of Investigation (POI).

(ii) The Domestic Industry has submitted that no exports have taken place both from Russia and Kazakhstan after 1996-97 and accordingly no import details are available in respect of Russia and Kazakhstan for 1997-98 and the POI i.e. 1998-99. In the absence these details it is not possible to estimate the average Export Price of Russia and Kazakhstan material to India during POI.

(iii) For the present investigation, a request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) and Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics(DGCI&S), Calcutta to furnish details of imports of Low Carbon Ferro Chrome originating in or exported from Russia and Kazakhstan during the POI. Both CBEC and DGCI&S have intimated that during POI there is no import trade from Russia and Kazakhstan of Low Carbon Ferro Chrome.

EXAMINATION BY AUTHORITY:

After examining the export statistics furnished by DGCI&S, CBEC and the claim of the Domestic Industry, the Authority concludes that no exports have taken place of the subject goods from the subject countries to India during the POI i.e. 1998-99. In absence of exports from the subject countries, the Authority has not estimated the average Export Price of subject goods from the subject countries to India during the POI.

D. **DUMPING MARGIN**:

5. **VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY:**

The Domestic Industry has submitted that the estimates about the Export Price of the subject goods originating from countries alleged to be dumping during POI cannot be made. For estimating the Dumping Margin, quantification of Normal Value as well as the Export Price of the goods alleged to be dumping is essential. However, quantification of Export Price in this case is not possible since no imports have taken place both from Russia and Kazakhstan after 1996-97.

EXAMINATION BY AUTHORITY:

Since there is no exports of the subject goods from the subject countries to India during the POI, there is no dumping of the subject goods. As explain above, in absence of Export Price the Authority could not determine the Dumping Margin in pursuance of the principle laid down in Para 6 of the Annexure 1 to the Rules.

E **OTHER ISSUES**:

6. **VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY**:

In response to the Initiation Notification M/s. Ferro Alloys Corporation Limited, the Domestic Industry has made the following submissions:-

(i) There is an installed capacity for manufacture of Low Carbon Ferro Chrome at 3,80,000 MTPA in case of Russia and 80,000 MTPA in case of Kazakhstan.

(ii) After Initiation of Anti Dumping investigations by the Indian Authorities during 1996-97 and levy of final Anti Dumping Duty in Jan., 1997 on imports of Low Carbon Ferro Chrome originating from these countries, the imports of the said commodity have reportedly stopped.

(iii) Some quantity of Russia and Kazakhstan material is still being dumped Into India routing the same through other countries based on forged certificates of origin. Most of these countries do not at all have any production facility for manufacture of Low Carbon Ferro Chrome.

(iv) The Statistics reveal that there is no drop at all in the installed Low Carbon Ferro Chrome production capacity in the subject countries.

(v) Over the years the growth in the Steel Industry particularly in the Stainless Steel and Alloys Steel segment did not keep pace with the projected estimates of the Authorities in the Ministry of Steel and Planning Commission. In context of the above background the Domestic Industry is now burdened with excess installed capacity.

(vi) Due to re-routing of Low Carbon Ferro Chrome through third country it is not possible for them to have access to any import document or data showing that Low Carbon Ferro Chrome of Russia and Kazakhstan origin are still being imported to the country.

(vii) If the Anti Dumping Duty already levied on imports of Low Carbon Ferro Chrome from Russia and Kazakhstan is reduced or removed completely at this stage it would open the floodgates for dumping by these two countries jeopardizing the survival of the Domestic Industry.

7. **VIEWS OF IMPROTERS**:

M/s. HIN Ferromet, one of the importers, in their written submissions has submitted that:-

(i) M/s. Ferro Alloys Corporation Limited, Domestic Industry is not producing any Low Carbon Ferro Chrome for over two years. Local consumers are being deprived of the important raw material and left with no other alternative but to import material after paying Anti Dumping Duty making their finished Alloy Steel/Stainless Steel expensive.

(ii) M/s. Ferro Alloys Corporation Limited have restarted two furnaces out of five. However they are producing High Carbon Ferro Chrome and not Low Carbon Ferro Chrome.

(iii) Production of Low Carbon Ferro Chrome involves very high power consumption and keeping in view high power tariffs in India it is not possible to produce it economically.

(iv) In India there are 25 producers of various grades of Ferro Alloys but none is producing Low Carbon Ferro Chrome as the same is economically not feasible.

(v) By availability of cheaper Low Carbon Ferro Chrome from Russia and Kazakhstan, it should not be interpreted that they are dumping this commodity into India. Their cost of production and power tariff cost (it is one fourth of power tariff in India) is much lower resulting in lower sale prices.

8. **VIEWS OF EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**:

Embassy of the Republic of Kazakhstan have submitted that in Kazakhstan Low Carbon Ferro Chrome is produced only in one plant i.e. JSC"Ferrochrom"(Aktyubinsk City) in which within the period of time from June 1993 to December, 1996, the production of Low Carbon Ferro Chrome had been completely stopped and free stock was not available in storage. They also stated that Kazakhstan did not export Low Carbon Ferro Chrome to India during the last 10 years.

EXAMINATION BY AUTHORITY:

The contention of the Domestic Industry that the subject goods of Russian and Kazhaskstan origin is still being dumped into India, routing the same through other countries based on forged certificates of origin, has not been substantiated by the Domestic Industry with any documentary evidence. Accordingly, the same has not been accepted by the Authority. The claim of M/s HIN Ferromet that M/s Ferro Alloys Corporation Limited is not producing any Low Carbon Ferro Chrome for over two years has no bearing on the present investigation as the same does not relate to the Period of Investigation and hence not considered by the Authority.

F. **LANDED VALUE**:

9. In absence of any imports of subject goods from the subject countries during the POI, the Authority could not determine the Landed Value of the subject goods from the subject countries.

G. **INJURY AND CAUSAL LINK:**

10. In the absence of imports of the subject goods from the subject countries during the POI, the Authority holds that there is no impact of imports of Low Carbon Ferro Chrome from subject countries on the Domestic Industry in India. In the absense of Imports of subject goods from subject countries the Authority has not considered such indices having a bearing on the state of industry such as production trends, capacity utilisation, sales, stocks, profitability and average sales realization. The Authority accordingly could not establish any injury to the Domestic Industry by the dumped imports during the POI from the subject countries.

11. As explained in Para 10, the Authority could not determined the Landed Value of imports of subject goods from the subject countries during the POI. The Authority has also not determined Non-Injurious Price for the Domestic Industry. Accordingly, no comparison between the Non Injurious Price and the

Landed Value of imports without considering the Anti Dumping Duty in force could be made. The selling price during POI of Low Carbon Ferro Chrome by M/s. Ferro Alloys Corporation Limited, is not relevant to decide whether the Anti Dumping Duty recommended earlier is required to be continued. It is found that there is no imports from subject countries during the POI and hence no injury margin could be worked out.

12. From the indices analyzed above, the Authority is thus led to the conclusion that there is no imports of Low Carbon Ferro Chrome from subject countries and hence no material injury has been caused to the Domestic Industry during the POI. Keeping in view that no imports from the subject countries of the subject goods have taken place during the POI, the Authority is of the opinion that cessation of existing Anti-Dumping Duty on imports of Low Carbon Ferro Chrome from the subject country, is not likely to lead to continuation or recurrence of injury to the Domestic Industry.

H. FINAL FINDINGS:

13 The Authority concludes, after considering the foregoing, that:

- Low Carbon Ferro Chrome originating in or exported from subject countries has not been exported to India during POI. There is no dumping of the subject goods from the subject countries.

- The Domestic Industry has not suffered any material injury from imports of Low Carbon Ferro Chrome from subject country during the POI.

- Cessation of existing Anti-Dumping Duty on imports of Low Carbon Ferro Chrome from the subject countries, is not likely to lead to continuation or recurrence of injury to the Domestic Industry.

14. The Authority, therefore, recommends that the Anti-Dumping Duty imposed on imports of Low Carbon Ferro Chrome originating in or exported from Russia and Kazakhstan, falling under Customs classification 7202.49 of Customs Tariff Act, 1975 be discontinued.

15. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold(Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054